न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :— 01/2022

शीर्षक

1. चौथमल बुनकर उम्र—48, पुत्र श्री छोटूराम बुनकर जाति बलाई निवासी ग्राम हरिपुरा रतनपुरा, पंचायत गठवाडी तह0 जमवारामगढ जिला जयपुर, (राज.)

वादी

बनाम

1. नन्छी देवी पुत्री शिवनाथ पत्नी बाबूलाल बुनकर
2. सुन्दरी देवी पुत्री शिवनाथ पत्नी मूलचन्द बुनकर
   समस्त जाति बलाई, निवासी पावर हाउस अशोक साईकिल वाले के पास , तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)
4. उपपंजीयक शाहपुरा तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 19/4/22

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी ख0न0 1052/1 रकबा 2.5000 है0 भूमि वाकै ग्राम रामपुरा पटवार हल्का रामपुरा तह. शाहपुरा जयपुर में स्थित है।
2. यह कि मद सं0 1 में वर्णित खातेदारी भूमि में वादी का अविभाजित हिस्सा 19/20 भाग व प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा 1/40 भाग तथा प्रतिवादी सं0 2 का हिस्सा 1/40 भाग स्थित है जो कि राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 2 के नाम दर्ज चली आ रही है उक्त मद नं0 1 में वर्णित खातेदारी भूमि का वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 2 ने अपने हिस्सेनुसार भूमि का मौखिक बंटवारा कर रखा है ओर वादी व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 2 मौखिक बंटवारा कर अपने अपने हिस्से पर काबिज रहकरकाश्त करते चले आ रहे है, ओर इसी अनुपात में राजस्व लगान अदा करते आ रहे है किन्तु उक्त भूमि जिसे आगे विवादित भूमि कहा गया है, का आज तक विधिवत तकास्मा नहीं हुआ है।
3. यह कि प्रतिवादी सं0 1 लगायत 2 अपने साथ अन्य 5–7 व्यक्तियो को लेकर आये तथा वाद अंकित भूमि की नाप जोख करवाकर अपने हिस्से से अधिक वादी की भूमि पर पुख्ता निर्माण कार्य करवाने तथा वादी की कब्जाधिपत्य भूमि पर जबरन कब्जा कर वादी को उसके हिस्से से बेदखल करने की बातचीत करने लगे। जिसकी जानकारी वादी को होने पर वादी ने प्रतिवादी सं0 1 लगायत 2 से कहा कि हम सभी अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। तथा हम क्यो न इस विवादित आराजीयात का विधिवत तकास्मा करवा कर अपना राजस्व रिकार्ड में अलग अलग खाता व लगान कायम करवा लेवे। जिससे कि उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में तकास्मा हो जावे।प्रतिवादी सं0 1 लगायत 2 ने किसी भी प्रकार के तकास्मा करवाने की बात से कतई इनकार कर दिया तथा कहा कि हमे कोई तकास्मा नहीं करवाना है तथा धमकी दी कि हम हमारी मर्जी से भूमि पर कब्जा करेगे तथा वादी को धमकी दी कि हम उक्त भूमि का तकास्मा नहीं करवायेगे हम संख्या व बाहुबल में तुझसे अधिक है । हम उक्त भूमि को बेचान करके तुम्हारी भूमि पर कब्जा करवायेगे। इसलिए वादी के लिये यह आवश्यक हो गया कि वादी विवादित भूमि का तकास्मा माननीय न्यायालय द्वारा विधिवत बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स सरस–नरस के आधार पर करवाये तथा विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड भी अलग से कायम करवावे तथा जब तक माननीय न्यायलय द्वारा तकास्मा किया जाकर राजस्व रिकार्ड व लगान अलग अलग कायम नहीं किया जाता तब तक प्रतिवादी सं0 1 लगायत 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये। विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण बाउण्ड्रीवाल, पुख्ता तामीरात, तारबन्दी आदि नहीं करे। विवादित भूमि के किसी भी हिस्से का बेचान बिना बंटवारा कराये किसी अजनबी केता को न करे, तथा वादी को उसकी काबिज शुदा विवादित भूमि से बेदखल कर कब्जा किसी दिगर को न फरमावे तथा वादी को वादी के हिस्से से बेदखल नहीं करे तथा शांति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे इस अमर की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का वादी मुश्तहक है अन्यथा वादी को फिजूल की कानूनी चाराजोही व मुकदमेबाजी का शिकार होना पडेगा जिससे वादी के कृषि अधिकारो पर कुठाराधात होगा ओर अकथनीय व अपूर्तनीय क्षति का सामना करना पडेगा।
4. अन्त में निवेदन किया कि आराजी ख0न0 1052/1 रकबा 2.5000 है0 भूमि वाकै ग्राम रामपुरा पटवार हल्का रामपुरा तह. शाहपुरा जयपुर का विधिवत तकास्मा वाद खण्ड सं0 2 अनुरूप हिस्सानुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स सरस नरस के आधार पर किया जाकर राज लगान अलग अलग कायम किया जावे व जिसका राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में अमल दरामद फरमाया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गये। प्रति0स0–01 लगायत 02 बावजुद सूचना के अनुपस्थित रहने पर विधिवत एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा वकील वादी ने दावा प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु निवेदन किया । प्रकरण में दावा प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को बंटवारा प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । तहसीलदार शाहपुरा ने अपने पत्र कमांक भू0अ0 / 2022 / 799 दिनांक 10.3.2022 के द्वारा बंटवारा प्रस्ताव प्रेषित किये गये । वकील वादी ने उपस्थित होकर मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार दावा अंतिम डिकी किए जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत प्रकरण में सभी खातेदारो को पक्षकार बनाया गया है तथा मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवारा प्रस्ताव सही होने से दावा अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है कि आराजी ख0नं0–1052/1 रकबा 2.50 है0 वाकै ग्राम रामपुरा तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर में खातेदारान के मध्य बंटवारा निम्नानुसार कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

. चौथमल पुत्र छोटूराम जाति बलाई निवासी रतनपुरा घटवाडी तह0 जमवारामगढ जयपुर का हिस्सा आ0ख0 न0 1052/1 रकबा 2.3750 है0 भूमि के हिस्से में रहेगी।

. नन्छी देवी, सुन्दरी देवी पुत्रीयान शिवनाथ जाति बलाई साह देह का हिस्सा आराजी ख0न0 1052/2 रकबा 0.1250 है0 भूमि के हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। ादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे से आई भूमि में ्क दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/4/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

न्यायालय उप खण्ड डिवीजनल मजिस्ट्रेट शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

प्रपत्र – 6

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या :– 01/2022

शीर्षक

1. चौथमल बुनकर उम्र–48, पुत्र श्री छोटूराम बुनकर जाति बलाई निवासी ग्राम हरिपुरा रतनपुरा, पंचायत गठवाडी तह0 जमवारामगढ जिला जयपुर, (राज.)

वादी

बनाम

01. नन्छी देवी पुत्री शिवनाथ पत्नी बाबूलाल बुनकर
02. .सुन्दरी देवी पुत्री शिवनाथि पत्नी मूलचन्द बुनकर
समस्त जाति बलाई, निवासी पावर हाउस अशोक साईकिल वाले के पास , तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)
03. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)
04. उपपंजीयक शाहपुरा तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 13/5/22

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है कि आराजी ख0नं0–1052/1 रकबा 2.50 है0 वाके ग्राम रामपुरा तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर में खातेदारान के मध्य बंटवारा निम्नानुसार कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

1. चौथमल पुत्र छोटूराम जाति बलाई निवासी रतनपुरा घटवाडी तह0 जमवारामगढ जयपुर का हिस्सा आ0ख0 न0 1052/1 रकबा 2.3750 है0 भूमि के हिस्से में रहेगी।
2. नन्छी देवी, सुन्दरी देवी पुत्रीयान शिवनाथ जाति बलाई साह देह का हिस्सा आराजी ख0न0 1052/2 रकबा 0.1250 है0 भूमि के हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे से आई भूमि में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें।

निर्णय आज तारीख 13.5.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(न्यायालय सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान)

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	